कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. / Fax: 07786-242303 E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./ 4584 कोंडागांव, दिनांक 6-7-2019

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला कोंडागांव (छ.ग.)

विषयः– आवेदनकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोंडागांव का दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के 4.00 हे. में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/SCH/32243/2018

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर का पृ. क्रमांक/एफ–5–08/2019/10–2, दिनांक 01/07/2019.

संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर द्वारा दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी–794 में से रकबा 4.00 हे. में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है। निर्देशानुसार शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो के पालन हेतु आवेदक विभाग द्वारा जमा की जाने वाली राशि कंडिकावार निम्नानुसार है :–

01. शासन द्वारा जारी अधिरोपत शर्त के कंडिका क्रमांक–02 (अ) के अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि इको–क्लास के अनुसार रूपये 37,56,000/– (रू. सैत्तीस लाख छप्पन हजार) मात्र होता है।

02. शासन द्वारा जारी अधिरोपत शर्त के कंडिका क्रमांक–08 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना में 195 वृक्ष से ज्यादा वृक्ष नहीं काटने का निर्देश है। परियोजना में विदोहन हेतु प्रभावित 195 वृक्षों के बदलें में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास/योजना) छ.ग. रायपुर द्वारा दिनांक 01/10/2011 में जारी प्राक्कलन अनुसार सड़क किनारें वृक्षारोपण दर वर्ष 2011 में निर्धारित राशि 1900/– प्रति पौधा के आधार पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार वर्ष 2019 में 7274/– प्रति पौधा के आधार पर दुगुने वृक्ष 390 X 7274= 28,36,860/- (रू. अठाईस लाख छत्तीस हजार आठ सौ साठ) मात्र होता है।

03. **शासन द्वारा जारी अधिरोपत शर्त के कंडिका क्रमांक–03 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त परियोजना में आवेदक विभाग को जमा की जाने वाली प्रत्याशा मूल्य की राशि रूपये 37,56,000/– रूपयें एवं वृक्ष विदोहित के बदले में दुगुने वृक्ष लगाने हेतु राशि 28,36,860/- रूपयें कुल 65,92,860/- (रू. पैसठ लाख ब्यान्नब्बे हजार आठ सौ साठ) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट परिवेश पोर्टल में दिये गये Payment gateway में अपलोड करते हुये भुगतान ऑनलाईन ई–चालान जनरेट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर से ऑनलाईन अनुमोदन प्राप्त करें, एवं जमा की गई चालान की सत्यापित पावति की मूल प्रति के साथ शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो के बिन्दुवार पालन हेतु वचन पत्र पृथक – पृथक 04–04 प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सकें। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

क्रमशः...2...

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4585   कोंडागांव, दिनांक 6-7-2019

प्रतिलिपि :

01. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़** की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित है।

02. **मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)** की ओर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर का पृ. क्रमांक/एफ–5–08/2019/10–2, दिनांक 01/07/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है। निर्देशानुसार परियोजना में विदोहन हेतु प्रभावित 195 वृक्षों के बदलें में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास/योजना) छ.ग. रायपुर द्वारा दिनांक 01/10/2011 में जारी प्राक्कलन अनुसार सड़क किनारें वृक्षारोपण दर वर्ष 2011 में निर्धारित राशि 1900/– प्रति पौधा के आधार पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार वर्ष 2019 में 7274/– प्रति पौधा के आधार पर दुगुने वृक्ष 390 X 7274= 28,36,860/- (रू. अठाईस लाख छत्तीस हजार आठ सौ साठ) मात्र सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु राशि का मांग किया जा रहा है। कृपया राशि गणना में विसंगति हो तो आवश्यक मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

03. **कलेक्टर, जिला–कोंडागांव (छत्तीसगढ़)** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

04. **उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व कोंडागांव उपवनमंडल** की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। **संलग्न :–उपरोक्तानुसार।**

05. **वन परिक्षेत्र अधिकारी, दहीकोंगा परिक्षेत्र** की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। प्रस्तावित परियोजना में विदोहन हेतु प्रभावित 195 वृक्षों के बदलें में दुगुने 390वृक्षों के लिए वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चयन कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रेषित करें, ताकि पालन प्रतिवेदन के साथ शासन को भेजा जा सकें। **संलग्न :–उपरोक्तानुसार।**

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव